न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 512/2022 निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:–

1. कमलेश पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. धूली पत्नी स्व0 अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. नटी पुत्री अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. रमेश पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. राजेश पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
6. शांति पुत्री अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
7. शोभाग पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
8. शोभागी पुत्री अम्बालाल जाति मीना निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री शिवकुमार चावरिया **तहसीलदार देवली**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 814 रकबा 2.35 है वाके ग्राम चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि पर पडोसियों ने नाजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि मे मिलाने पर अमादा है। तथा सीमा चिन्हों को अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण प्रार्थी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि पडोसी

खातेदार प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नही मिला सके और मौके पर
तरह का विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्
अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार नगरफोर्ट को नियमानुसार आ
फरमाया जावे।

अप्राथी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिकमित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 813 गै0मु0 रास्ते पर अतिक्रमण होना बताया है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि अतिकमित राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करे। प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में अंकित खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 814 रकबा 2.35 है वाके ग्राम चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली